झारखण्ड सरकार

परिवहन आयुक्त कार्यालय

एफ़०एफ़०पी० भवन, एच०ई०सी० परिसर, धुर्वा, राँची।

पत्रांक – परि०आ० – 364/2015 ....135....../ राँची, दिनांक - 11.02.2021

प्रेषक,

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

श्री प्रकाश कुमार गुप्ता
लालकोठी, रातू रोड,
राँची।

विषय : - मार्ग रजरप्पा – जशपुर पर निर्गत परमिट संख्या P.St.S. 46/2015 के नवीनीकरण हेतु मान्य कागजात उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि मार्ग रजरप्पा – जशपुर पर आपके पक्ष में झारखण्ड प्राधिकार द्वारा निर्गत परमिट संख्या P.St.S. 46/2015 के नवीनीकरण हेतु कार्रवाई के दौरान पाया गया कि उल्लेखित परमिट से आवृत्त वाहन संख्या JH-01AV-1142 से सम्बंधित उपलब्ध कराया गया बीमा प्रमाण पत्र अपठनीय है एवं झारखण्ड कर भुगतान सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रति भी उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

अतः उपरोक्त के सन्दर्भ में निदेश दिया जाता है कि उल्लेखित मान्य कागजातों की अद्यतन प्रति कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित किया जाए ताकि परमिट नवीनीकरण सम्बन्धी अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

संयुक्त परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची।